

Order sheet [Contd]

case No- B.A-161/2018

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
04-05-18	<p>आरोपी/आवेदक सुभाष उर्फ रटटी गुर्जर द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह पवैया अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह अपर लोक अभियोजक।</p> <p>प्रकरण आरोपी/आवेदक सुभाष उर्फ रटटी गुर्जर के जमानत आवेदनपत्र पर तर्क/जमानत आदेश की प्रतियां पेश करने हेतु नियत है।</p> <p>आरोपी/आवेदक अधिवक्ता द्वारा जमानत आदेश की सूची अनुसार प्रतियां पेश की गयी।</p> <p>पुलिस थाना गोहद के अपराध क्रमांक-296/2017 धारा-394 भादवि. तथा धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के अपराध में आरोपी/आवेदक सुभाष उर्फ रटटी गुर्जर की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द. प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता ने आरोपी/आवेदक सुभाष उर्फ रटटी गुर्जर का प्रथम जमानत आवेदनपत्र होना बताते हुए जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया समर्थन में साहिब पिता मायाराम का शपथपत्र पेश किया, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। फलतः आरोपी/आवेदक सुभाष उर्फ रटटी गुर्जर का जमानत आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है।</p> <p>आरोपी/आवेदक सुभाष उर्फ रटटी गुर्जर के आवेदन अनुसार पुलिस ने गलत रूप से आरोपी बना लिया है। वह दिनांक-15/12/2017 से न्यायिक निरोध में है एवं सहअभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. नंबर-7316/2018 के माध्यम से एवं सहअभियुक्त बल्लो उर्फ बलवीर की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. नंबर-11498/2018 के माध्यम से एवं सहअभियुक्त रवि गुर्जर की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. नंबर-14193/2018 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है। उसका मामला उनसे भिन्न नहीं है, समानता रखता है, वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोड़ने का निवेदन किया। आवेदन के समर्थन में आरोपी जीतू उर्फ जितेन्द्र के जमानत आदेश की स्वयं की सत्यापित प्रति पेश की गयी है।</p> <p>ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक सुभाष उर्फ रटटी गुर्जर द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है, उनका मामला जमानत पर रिहा आरोपीगण से भिन्न है। मामला डकैती अधिनियम से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है, आरोपी/आवेदक सुभाष उर्फ रटटी गुर्जर को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध करते हुए निरस्त किए जाने का निवेदन किया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>मूल प्रकरण एवं प्रस्तुत जमानत आदेश के अवलोकन से प्रकट है कि सहअभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. नंबर-7316/2018 के माध्यम से एवं सहअभियुक्त बल्लो उर्फ बलवीर की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. नंबर-11498/2018 के माध्यम से एवं सहअभियुक्त रवि गुर्जर की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. नंबर-14193/2018 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है।</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा आरोपी रवि गुर्जर से सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी, आरोपी जीतू उर्फ जितेन्द्र सिंह से सोने-चांदी के जेवरात, नगदी, आरोपी बल्लो उर्फ बलवीर से सोने के जेवरात, नगदी जप्त किए गये हैं। जबकि इस न्यायालय के समक्ष जमानत की प्रार्थना करने वाले आरोपी सुभाष उर्फ रटटी से सोने के जेवरात, नगदी के अलावा एक आग्नेयशस्त्र 315 बोर का कटटा व दो जीवित कारतूस भी जप्त किया गया है। अतः इन परिस्थिति में आवेदक सुभाष उर्फ रटटी का मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा आरोपीगण से समान न होकर भिन्न है।</p> <p>फलतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिपेक्ष्य आवेदक सुभाष उर्फ रटटी का जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण पूर्ववत आरोप तर्क हेतु दि0-08/05/2018 को प्रस्तुत किया जावे।</p> <p>(एच.के. कौशिक) विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)